

Government of Chhattisgarh
Law & Legislative Affairs Department
D.K.S. Bhawan, Mantralaya, Raipur Chhattisgarh

NOTIFICATION

Raipur dated 13.06.2012

F. No. 5474/XXI-B/C.G./12. In exercise of the powers conferred by section 3 of the Family Courts Act, 1984 (No. 66 of 1984) the State Government, in consultation with the High Court of Chhattisgarh makes following further amendment in this department's previous notification No. 1507/D-397/XXI-B/C.G./05. dated 24.2.2005 and notification No. 7169/D-2157/XXI-B/C.G./05. dated 6.9.2005 (as amended from time to time relating the jurisdiction of family Court Durg) as follows.

AMENDMENT

Schedule - II

1. For the entries in serial no. 3, 4, 5 and 5 A of the schedule the following shall be substituted, namely:-

S.No.	Name of the Court and District,	Headquarters	Jurisdiction
1	2	3	4
3	Court of Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg.	(a) Revenue District, Durg excluding the jurisdiction of Civil Courts at Bemetara and Balod
4	Court of Ist Additional Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg.	(a) Revenue District, Durg Note - He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg
5	Court of IInd Additional Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg. (b) Additional place of sitting at Balod for a week in the 2 nd week of every month	(a) Revenue District, Durg Note - He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg (b) Territorial jurisdiction of Civil Court Balod
5 A	Court of IIIrd Additional Principal Judge, Family Court, Durg	(a) Durg. (b) Additional place of sitting at Bemetara for a week in the 4 th week of every month	(a) Revenue District, Durg Note - He shall try the cases transferred by the Principal Judge, Family Court, Durg (b) Territorial jurisdiction of Civil Court Bemetara

अधिसूचना

रायपुर दिनांक 3.06.2012

फा. क्र. 5474/21-ब/छ.ग./12 राज्य सरकार, एतद्वारा, कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984 (क्र. 66 सन् 1984) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छ.ग. उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्र. 1507/डी-397/21-ब/छ.ग./05 दि. 24.2.2005 एवं 7169/डी-2157/21-ब/छ.ग./05 दि. 6.9.2005 (कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग के क्षेत्राधिकारिता के संबंध में समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्न लिखित और संशोधन करती है -

संशोधन

अनुसूची - 2

1. सरल क्रमांक 3, 4, 5 व 5 क की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् -

अनु. क्र.	न्यायालय का नाम एवं जिला	मुख्यालय	क्षेत्राधिकार
1	2	3	4
3	न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	दुर्ग	सिविल न्यायालय बेमेतरा तथा बालोद के क्षेत्राधिकार को छोड़कर राजस्व जिला दुर्ग
4	न्यायालय प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	दुर्ग	राजस्व जिला दुर्ग टीप - वह प्रधान न्यायाधीश दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा।
5	न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	(क) दुर्ग (ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान बालोद, प्रत्येक माह के द्वितीय सप्ताह में एक सप्ताह के लिये	(क) राजस्व जिला दुर्ग टीप - वह प्रधान न्यायाधीश दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा। (ख) व्यवहार न्यायालय बालोद का स्थानीय क्षेत्राधिकार
5 - क	न्यायालय तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग	(क) दुर्ग (ख) बैठने का अतिरिक्त स्थान चतुर्थ सप्ताह में एक सप्ताह के लिये	(क) राजस्व जिला दुर्ग टीप - वह प्रधान न्यायाधीश दुर्ग, कुटुम्ब न्यायालय दुर्ग द्वारा अंतरित मामलों का विचारण करेगा। (ख) व्यवहार न्यायालय बेमेतरा का स्थानीय क्षेत्राधिकार

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा अदेशानुसार.

(Handwritten Signature)
 (ए.के. सामन्तराय)
 सचिव,
 छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
3.....

फा. क. 5475/21-ब/छ.ग./12
प्रतिलिपि -

रायपुर दिनांक 06.2012
13 0 JUN 2012

1. रजिस्ट्रार जनरल, छ.ग उच्च न्यायालय, बिलासपुर को उनके ज्ञापन क. 4017/तीन-8-2. 2001 बिलासपुर दि. 19.3.2012 के संदर्भ में
2. प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दुर्ग
3. माननीय विधि मंत्रीजी के निज सचिव की ओर माननीय विधि मंत्रीजी के अवलोकन हेतु
4. प्रमुख सचिव वित्त के निज सहायक की ओर प्रमुख सचिव वित्त के अवलोकन हेतु
5. सचिव विधि के स्टाफ आफिसर की ओर सचिव विधि के अवलोकन हेतु
6. उपसंचालक, शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राजनादगाव (छ.ग.) की ओर छ.ग राजपत्र (असाधारण) के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

०/८

S. S. S. S.
30/6/12

(सुषमा सावंत)

अतिरिक्त सचिव,

छ.ग. शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग